भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1191
(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीआरडीए की भूमिका एवं कार्य

1191. श्रीमती रजनी पाटिलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डीआरडीए) की भूमिका एवं कार्य क्या–क्या हैं तथा इसका सांगठनिक ढांचा किस प्रकार है;
(ख) क्या सरकार ने देश में डीआरडीए के काम–काज की समीक्षा की है;
(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं; और
(घ) डीआरडीए के कामकाज को और पुख्ता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण कराई गई डीआरडीए एक पंजीकृत सोसाइटी है या जिला परिषद में अलग पहचान रखने वाला एक पृथक सैल है। डीआरडीए की कर्मचारी संरचना में गरीबी उपशमन की आयोजना, परियोजना तैयार करना, सामाजिक संगठन, क्षमता निर्माण, जेंडर संबंधी मुद्दे, इंजीनियरिंग सुपरवीजन, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, लेखा प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्य और मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन के पद शामिल होने चाहिए।

डीआरडीए का प्रशासन शासकीय निकाय द्वारा चलाया जाता है। डीआरडीए का शासकीय निकाय नीतिगत अनुदेशों, वार्षिक योजना का अनुमोदन और विभिन्न कार्यक्रमों सहित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है। डीआरडीए के शासकीय निकाय को तिमाही में एक बार बैठक करना जरूरी है। जिला परिषद का अध्यक्ष डीआरडीए के शासकीय निकाय का अध्यक्ष होता है। फिर भी, कार्यपालन और वित्तीय कार्यों की

जिम्मेदारी भी सीईओ, जिला परिषद/जिलाधीश की है। इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक के तौर पर की जाती है। यह भी सुनिश्चित करना निदेशक की जिम्मेदारी है कि डीआरडीए का प्रशासन और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। जहां जिला परिषद उपस्थित नहीं है या कार्यरत नहीं है, उस स्थिति में, जिले के कलैक्टर/जिलाधीश/उप-आयुक्त के तहत डीआरडीए कार्य करेगा।

डीआरडीए की जिम्मेवारियों में शामिल हैं: - गरीबी उपशमन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन, अन्य एजेंसियों – सरकारी, गैर-सरकारी के साथ समन्वय, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु समुदाय तथा ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाना, दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन का निरीक्षण, निर्धारित प्राधिकरणों को कार्यान्वयन की सूचना देना और निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

(ख) से (घ) : मंत्रालय ने डीआरडीए के कार्यों की समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 2010 में एक समिति बनाई थी। समिति का उद्देश्य डीआरडीए के कार्यों का अध्ययन करना और इसकी पुनर्संरचना के लिए उपयुक्त सिफारिश करना था। समिति ने जनवरी, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कुछ सुधारों के साथ मंत्रालय ने स्वीकार किया है। इस संबंध में अगली कार्रवाही शुरू कर दी गई है।